

**एनएचपीसी लिमिटेड**  
**पर्यावरण संबंधी पहलुओं पर छमाही प्रगति रिपोर्ट**

**मार्च, 2026 को समाप्त अवधि के लिए प्रगति रिपोर्ट**

| <b>1</b>                             | <b>परियोजना का नाम</b>                                                                                                                                                                                  | तीस्ता-VI जलविद्युत परियोजना (500 मेगावाट)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |        |                 |                      |                                 |         |                       |            |        |                                 |            |       |                          |            |        |                         |            |         |                                      |  |          |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------------|----------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|------------|--------|---------------------------------|------------|-------|--------------------------|------------|--------|-------------------------|------------|---------|--------------------------------------|--|----------|
| <b>2</b>                             | <b>परियोजना का प्रकार</b>                                                                                                                                                                               | जलविद्युत परियोजना (रन आफ दि रिवर स्कीम)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |        |                 |                      |                                 |         |                       |            |        |                                 |            |       |                          |            |        |                         |            |         |                                      |  |          |
| <b>3</b>                             | <b>स्वीकृति पत्र - कार्यालय ज्ञापन संख्या और तारीख</b><br>क) पर्यावरण संबंधी स्वीकृति<br><br>ख) वन संबंधी स्वीकृति                                                                                      | क) पत्र संख्या J-12011/55/2006-IA.I दिनांक 21.09.2006 तथा पत्र संख्या J-12011/55/2006-IA.I (R) दिनांक 14.08.2020 के संदर्भ में। लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड (LTHPL) (एनएचपीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) के एनएचपीसी लिमिटेड में दिनांक 27.01.2025 से विलय (अमलगमेशन) के उपरान्त, पर्यावरण स्वीकृति (Environment Clearance) पत्र दिनांक 27.10.2025 के माध्यम से एनएचपीसी लिमिटेड के नाम स्थानांतरित कर दी गई है।<br>ख) <table border="1"> <thead> <tr> <th>पत्र संख्या</th><th>दिनांक</th><th>वन क्षेत्र (ha)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>F. No. 8-140/2006-FC</td><td>23.05.2008<br/>एवं<br/>12.03.2021</td><td>89.4266</td></tr> <tr> <td>No. 5-WBB009/2007-BHU</td><td>11.09.2007</td><td>0.6935</td></tr> <tr> <td>No. 3-SK B 062/2008-SHI/2274-75</td><td>27.10.2008</td><td>0.096</td></tr> <tr> <td>FP/SK/OTHERS/436073/2023</td><td>17.06.2025</td><td>1.8115</td></tr> <tr> <td>FP/SK/TRANS/406226/2022</td><td>10.11.2025</td><td>30.1919</td></tr> <tr> <td colspan="2"><b>कुल वन क्षेत्र (हेक्टेयर में)</b></td><td>122.0276</td></tr> </tbody> </table> | पत्र संख्या | दिनांक | वन क्षेत्र (ha) | F. No. 8-140/2006-FC | 23.05.2008<br>एवं<br>12.03.2021 | 89.4266 | No. 5-WBB009/2007-BHU | 11.09.2007 | 0.6935 | No. 3-SK B 062/2008-SHI/2274-75 | 27.10.2008 | 0.096 | FP/SK/OTHERS/436073/2023 | 17.06.2025 | 1.8115 | FP/SK/TRANS/406226/2022 | 10.11.2025 | 30.1919 | <b>कुल वन क्षेत्र (हेक्टेयर में)</b> |  | 122.0276 |
| पत्र संख्या                          | दिनांक                                                                                                                                                                                                  | वन क्षेत्र (ha)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |        |                 |                      |                                 |         |                       |            |        |                                 |            |       |                          |            |        |                         |            |         |                                      |  |          |
| F. No. 8-140/2006-FC                 | 23.05.2008<br>एवं<br>12.03.2021                                                                                                                                                                         | 89.4266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |        |                 |                      |                                 |         |                       |            |        |                                 |            |       |                          |            |        |                         |            |         |                                      |  |          |
| No. 5-WBB009/2007-BHU                | 11.09.2007                                                                                                                                                                                              | 0.6935                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |        |                 |                      |                                 |         |                       |            |        |                                 |            |       |                          |            |        |                         |            |         |                                      |  |          |
| No. 3-SK B 062/2008-SHI/2274-75      | 27.10.2008                                                                                                                                                                                              | 0.096                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |        |                 |                      |                                 |         |                       |            |        |                                 |            |       |                          |            |        |                         |            |         |                                      |  |          |
| FP/SK/OTHERS/436073/2023             | 17.06.2025                                                                                                                                                                                              | 1.8115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |        |                 |                      |                                 |         |                       |            |        |                                 |            |       |                          |            |        |                         |            |         |                                      |  |          |
| FP/SK/TRANS/406226/2022              | 10.11.2025                                                                                                                                                                                              | 30.1919                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |        |                 |                      |                                 |         |                       |            |        |                                 |            |       |                          |            |        |                         |            |         |                                      |  |          |
| <b>कुल वन क्षेत्र (हेक्टेयर में)</b> |                                                                                                                                                                                                         | 122.0276                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |        |                 |                      |                                 |         |                       |            |        |                                 |            |       |                          |            |        |                         |            |         |                                      |  |          |
| <b>4</b>                             | <b>स्थान</b><br>क) जिला (जिले)<br>ख) राज्य<br>ग) अक्षांश<br>घ) देशांतर                                                                                                                                  | गंगटोक और नामची<br>सिक्किम<br>27°14'29.98"N (बैराज); 27°10'42" N (पावर हाउस)<br>88°28'35.39" E (बैराज); 88°30'40" E (पावर हाउस)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |        |                 |                      |                                 |         |                       |            |        |                                 |            |       |                          |            |        |                         |            |         |                                      |  |          |
| <b>5</b>                             | <b>पत्र-व्यवहार का पता:</b><br>क) संबंधित परियोजना प्रमुख का पता (पिन कोड और टेलीफोन/ फैंक्स नम्बर सहित)<br><br>ख) निगम मुख्यालय में संबंधित विभागाध्यक्ष का पता (पिन कोड और टेलीफोन/फैंक्स नम्बर सहित) | <b>कार्यपालक निदेशक,</b><br>तीस्ता-VI जलविद्युत परियोजना,<br>बालुतार, पी ओ सिंगतम, जिला-गंगटोक - 737134<br><b>फोन:</b> 9239125796 (स्थायी वायरलेस फोन)<br><br><b>कार्यपालक निदेशक</b><br>पर्यावरण एवं विविधता प्रबंधन विभाग,<br>एन.एच.पी.सी. लिमिटेड, एन.एच.पी.सी. कार्यालय परिसर,<br>सेक्टर 33, फरीदाबाद (हरियाणा)-121003<br><b>फोन:</b> 0129-2250111<br>ईमेल: <a href="mailto:envdivmgn-co@nhpc.nic.in">envdivmgn-co@nhpc.nic.in</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |        |                 |                      |                                 |         |                       |            |        |                                 |            |       |                          |            |        |                         |            |         |                                      |  |          |

| 6                                | पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं का विवरण                                                                                                                                                                                                 | अनुलग्नक-1 के अनुसार ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |        |                            |    |                          |   |                                  |   |                              |    |          |   |     |     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------------------------|----|--------------------------|---|----------------------------------|---|------------------------------|----|----------|---|-----|-----|
| 7                                | परियोजना क्षेत्र का विवरण (भूमि का विवरण)<br>क) जलमग्न क्षेत्र:<br>वन क्षेत्र<br>गैर-वन क्षेत्र<br>ख) अन्य                                                                                                                        | वन भूमि : 36 ha<br>गैर वन भूमि (निजी) : 0.448 ha<br>1. 56.0276 हेक्टेयर वन भूमि (भूमिगत 21.9971 हेक्टेयर वन भूमि सहित) ।<br>2. सिक्किम पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एसपीडीसी) द्वारा अधिग्रहित निजी भूमि (लगभग 34 हेक्टेयर) और आगे एलटीएचपीएल को वाणिज्यिक संचालन तिथि से 35 साल की लीज अवधि के लिए स्थायी कार्यों, मक डंपिंग, सड़क, निर्माण सुविधा, और<br>3. एलटीएचपीएल द्वारा सीधे अल्पकालिक पट्टे पर ली गई निजी भूमि (लगभग 10.5187 हेक्टेयर) 3.5/4/4.5/5/6/7 वर्ष की अवधि के लिए ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |        |                            |    |                          |   |                                  |   |                              |    |          |   |     |     |
| 8                                | जिन लोगों ने केवल घर/निवास खोए हैं, केवल कृषि भूमि खोई है, निवास और कृषि भूमि, दोनों खोए हैं तथा भूमिहीन मजदूरों/दस्तकारों की गणना सहित परियोजना से प्रभावित आबादी का विवरण:<br>क) अनु.जा./अनु.ज.जा./आदिवासी<br>ख) अन्य           | तीस्ता-VI जलविद्युत परियोजना कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र में स्थित है । भूमि के कुछ हिस्से के अधिग्रहण से 111 परिवारों की करीब 400 से 500 की आबादी प्रभावित हुई है । परियोजना की ईआईए रिपोर्ट अनुसार, परियोजना से प्रभावित परिवार जाति का विवरण निम्नानुसार है : <table><tr><th>जाति श्रेणी</th><th>संख्या</th></tr><tr><td>(a) अनुसूचित जनजाति (एसटी)</td><td>41</td></tr><tr><td>(b) अनुसूचित जाति (एससी)</td><td>6</td></tr><tr><td>(c) अधिकांश पिछड़ा वर्ग (एमबीसी)</td><td>8</td></tr><tr><td>(d) अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)</td><td>55</td></tr><tr><td>(e) अन्य</td><td>1</td></tr><tr><td>कुल</td><td>111</td></tr></table> <ul style="list-style-type: none"><li>उनकी निजी भूमि का केवल एक हिस्सा ही अधिग्रहण के दायरे में आया है, कोई भी परिवार भूमिहीन नहीं हुआ है । भूमि अधिग्रहण में कोई आवास शामिल नहीं है इसलिए कोई पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजना प्रस्तावित नहीं की गई है ।</li></ul> | जाति श्रेणी | संख्या | (a) अनुसूचित जनजाति (एसटी) | 41 | (b) अनुसूचित जाति (एससी) | 6 | (c) अधिकांश पिछड़ा वर्ग (एमबीसी) | 8 | (d) अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) | 55 | (e) अन्य | 1 | कुल | 111 |
| जाति श्रेणी                      | संख्या                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |        |                            |    |                          |   |                                  |   |                              |    |          |   |     |     |
| (a) अनुसूचित जनजाति (एसटी)       | 41                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |        |                            |    |                          |   |                                  |   |                              |    |          |   |     |     |
| (b) अनुसूचित जाति (एससी)         | 6                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |        |                            |    |                          |   |                                  |   |                              |    |          |   |     |     |
| (c) अधिकांश पिछड़ा वर्ग (एमबीसी) | 8                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |        |                            |    |                          |   |                                  |   |                              |    |          |   |     |     |
| (d) अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)     | 55                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |        |                            |    |                          |   |                                  |   |                              |    |          |   |     |     |
| (e) अन्य                         | 1                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |        |                            |    |                          |   |                                  |   |                              |    |          |   |     |     |
| कुल                              | 111                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |        |                            |    |                          |   |                                  |   |                              |    |          |   |     |     |
| 9                                | वित्तीय ब्यौरा<br>क) परियोजना की लागत, जैसा कि आरम्भ में आयोजना की गई थी, और बाद के संशोधित अनुमान तथा मूल्य संदर्भ का वर्ष:<br>ख) परियोजना पर अब तक हुआ वास्तविक खर्च:<br><br>ग) पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं के लिए किया गया आवंटन: | ₹ 5,748.04 करोड़ जुलाई 2018 पीएल, जिसमें ₹ 977.09 करोड़ की आईडीसी और एफसी और ₹ 907 करोड़ राशि (निवेश अनुमोदन के अनुसार) शामिल है ।<br><br>₹5228.40 करोड़ (31.03.2026 तक) ।<br><br>₹ 3547.44 लाख (ईएमपी और उसके बाद के संशोधन के अनुसार)<br><br>₹ 3079.23 लाख (विवरण के लिए अनुबंध-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |        |                            |    |                          |   |                                  |   |                              |    |          |   |     |     |

|    |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | घ) पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं पर अब तक हुआ वास्तविक खर्च:                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10 | <b>वन भूमि की आवश्यकताएं:</b><br>क) वन भूमि को गैर-वन भूमि के रूप में उपयोग के लिए अपवर्तन के अनुमोदन की स्थिति<br>ख) वन भूमि में पेड़ों की कटाई के संबंध में स्थिति | <ul style="list-style-type: none"> <li>• दिनांक 23.05.2008 को 89.4266 हेक्टेयर वन भूमि (67.4295 हेक्टेयर सतही भूमि और 21.9971 हेक्टेयर भूमिगत भूमि) एमओईएफ द्वारा वन स्वीकृति प्रदान किया। एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा दिनांक 09.10.2019 से एलटीएचपीएल के अधिग्रहण के बाद, एफ. सं. 8-140/2006-एमओईएफ&amp;सीसी दिनांक 12.03.2021 के तहत एलटीएचपीएल (एनएचपीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) के पक्ष में वन मंजूरी स्थानांतरित कर दी गई है। पूर्ववर्ती एलटीएचपीएल के एनएचपीसी लिमिटेड में दिनांक 27.01.2025 से विलय के पश्चात, एनएचपीसी लिमिटेड के पक्ष में 89.4266 हेक्टेयर वन भूमि की वन स्वीकृति के स्थानांतरण हेतु नया प्रस्ताव PARIVESH पोर्टल 2.0 पर 02.07.2025 को प्रस्तुत किया गया है।</li> <li>• एमओईएफ&amp;सीसी, पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर ने पत्र दिनांक 11.09.2007 द्वारा तारखोला में लिंक रोड और पुल के लिए 0.6935 हेक्टेयर वन भूमि के डायवर्जन को मंजूरी दी। एलटीएचपीएल (एनएचपीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) के पक्ष में 0.6935 हेक्टेयर वन भूमि के लिए वन मंजूरी के हस्तांतरण का प्रस्ताव परिवेश पोर्टल 2.0 में प्रस्तुत किया गया है। अब, विलय के बाद, एनएचपीसी लिमिटेड के पक्ष में 0.6935 हेक्टेयर वन भूमि की वन स्वीकृति के हस्तांतरण हेतु नया प्रस्ताव दिनांक 02.07.2025 को PARIVESH पोर्टल 2.0 पर प्रस्तुत किया गया है।</li> <li>• एमओईएफ&amp;सीसी, क्षेत्रीय कार्यालय, शिलांग ने अपने पत्र दिनांक 27.10.2008 के माध्यम से तीस्ता-VI जल विद्युत परियोजना की कॉलोनी और अन्य स्थानों तक जल आपूर्ति पाइपलाइन बिछाने हेतु 0.096 हेक्टेयर वन भूमि के डायवर्जन को मंजूरी दी। एनएचपीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एलटीएचपीएल के पक्ष में 0.096 हेक्टेयर वन भूमि की वन स्वीकृति के हस्तांतरण का प्रस्ताव परिवेश पोर्टल 2.0 पर प्रस्तुत किया गया था। विलय के पश्चात, एनएचपीसी लिमिटेड के पक्ष में 0.096 हेक्टेयर वन भूमि की वन स्वीकृति के हस्तांतरण हेतु नया प्रस्ताव दिनांक 02.07.2025 को PARIVESH पोर्टल 2.0 पर प्रस्तुत किया गया है।</li> <li>• एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, कोलकाता ने दिनांक 03.09.2024 के पत्र के माध्यम से सिक्किम के नामची जिले के अंतर्गत 220 केवी डी/सी तीस्ता-VI से रंगपो ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण के लिए 30.1919 हेक्टेयर (26.42076 हेक्टेयर आरएफ + 3.77116 हेक्टेयर सरकारी खासमल) वन भूमि के लिए वन मंजूरी चरण-I प्रदान की।</li> </ul> |

|    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>एमओईएफ&amp;सीसी, क्षेत्रीय कार्यालय, सिक्किम ने अपने पत्र दिनांक 17.06.2025 के माध्यम से नामची जिला, सिक्किम के थलथले, पामफोक में मलबा डंपिंग हेतु 1.8115 हेक्टेयर वन भूमि के लिए वन स्वीकृति -स्टेज)II) प्रदान की।</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11 | <b>निर्माण की स्थिति :</b><br>क) आरम्भ करने की तारीख<br>(वास्तविक और / या नियोजित)<br><br>ख) पूर्ण होने की तिथि (वास्तविक और/या नियोजित) | (क) लैंको एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मार्च 2007 में तथा लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड (NHPC लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) द्वारा दिनांक 08.03.2019 को परियोजना का कार्य पुनः प्रारंभ किया गया, अर्थात् भारत सरकार द्वारा निवेश अनुमोदन प्रदान किए जाने की तिथि से। LTHPL (NHPC लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) का NHPC लिमिटेड में दिनांक 27.01.2025 से विलय होने के पश्चात, परियोजना के निर्माण का कार्य NHPC लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है।<br>(ख) वर्तमान कार्य प्रगति की स्थिति के अनुसार प्रत्याशित पूर्णता तिथिसितंबर :, 2029                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 12 | <b>विलम्ब के कारण, यदि परियोजना अभी आरम्भ की जानी है:</b>                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>परियोजना का कार्य LTHPL द्वारा मार्च 2007 में प्रारंभ किया गया था। तथापि, वर्ष 2012 से परियोजना का निर्माण कार्य बाधित रहा तथा माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (NCLT) द्वारा समाधान योजना (Resolution Plan) के अनुमोदन के उपरांत, NHPC लिमिटेड ने दिनांक 09.10.2019 से LTHPL का एक चालू प्रतिष्ठान (Going Concern) के रूप में अधिग्रहण कर लिया है तथा शेष निर्माण कार्य प्रगति पर है।</li> <li>परियोजना के कार्य में अप्रत्याशित/फोर्स मेज्योर (Force Majeure) परिस्थितियों के कारण विलंब हुआ, जिनमें परियोजना को NHPC को हस्तांतरित करने में विलंब, कोविड-19 के पश्चात लगाए गए प्रतिबंधों के कारण कार्य प्रारंभ करने में विलंब, NH-10 के बार-बार बंद होने के कारण आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, खराब भूगर्भीय परिस्थितियों के कारण HRT कार्यों में विलंब तथा अक्टूबर 2023 के दौरान आई भीषण आकस्मिक बाढ़ (Flash Floods) शामिल हैं।</li> </ul> |
| 13 | <b>स्थल के दौरों का ब्यौरा:</b><br>क) मानीटरिंग समिति द्वारा<br>ख) क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>पुनर्गठित बहु-अनुशासनात्मक निगरानी समिति ने दिनांक 27.02.2023 को परियोजना स्थल का दौरा किया एवं पुनर्गठित निगरानी समिति की पहली बैठक दिनांक 04.03.2023 को वन और पर्यावरण विभाग, सिक्किम सरकार, गंगटोक में आयोजित की गई।</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 14 | <b>पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन की स्थिति के संबंध में संक्षिप्त नोट :</b>               | <b>अनुलग्नक- II</b> के रूप में संलग्न।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

अनुलग्नक-1

तीस्ता-VI जलविद्युत परियोजना (500 मेगावाट) के लिए पर्यावरण प्रबंधन योजना का विवरण

| क्रम सं. | पर्यावरण प्रबंधन योजना का नाम                    | ईएमपी की लागत # (₹ लाख) | व्यय की गई राशि (₹ लाख) | उपयोगिता प्राप्त (₹ लाख) |
|----------|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1        | सार्वजनिक स्वास्थ्य और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना | 179.00                  | 0.00                    | 0.00                     |
| 2        | जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना (संशोधित)            | 2410.18*                | 2410.18                 | 1694.32                  |
| 3        | प्रतिपूरक वनरोपण योजना                           | 114.65                  | 114.65                  | 114.65                   |
| 4        | जैव विविधता संरक्षण (मछली प्रबंधन योजना सहित)    | 119.12*                 | 119.12                  | 95.34                    |
| 5        | मछली प्रबंधन योजना                               | 170.00*                 | 170.00                  | 170.00                   |
| 6        | मृदा संरक्षण और वन संरक्षण योजना                 | 183.53*                 | 183.53                  | 0.00                     |
| 7        | मुफ्त ईंधन प्रावधान                              | 98.85                   | 0.00                    | 0.00                     |
| 8        | स्पोर्ट्स टिप्स के लिए पुनर्स्थापना योजना        | 81.61                   | 0.00                    | 0.00                     |
| 9        | खदान स्थलों के लिए बहाली योजना                   | 35.97                   | 0.00                    | 0.00                     |
| 10       | लैंडस्केप योजना                                  | 48.91                   | 0.00                    | 0.00                     |
| 11       | परियोजना क्षेत्र के चारों ओर हरित पट्टी          | 13.58                   | 0.00                    | 0.00                     |
| 12       | पर्यावरण निगरानी कार्यक्रम                       | 13.25                   | 2.96                    | 2.96                     |
| 13       | फसल मुआवजा                                       | 78.79                   | 78.79                   | 78.79                    |
| कुल      |                                                  | 3547.44                 | 3079.23                 | 2156.06                  |

ईएमपी लागत में एनपीवी की राशि (₹ लाख 568) और पट्टे पर ली गई भूमि की लागत शामिल नहीं है।

# एमओईएफ एवं सीसी द्वारा अनुमोदित पर्यावरण प्रबंधन योजना रिपोर्ट और राज्य सरकार द्वारा बाद में संशोधन के अनुसार।

\* पूर्ववर्ति LTHPL द्वारा धनराशि जमा की गई है। CAT योजना और मत्स्य पालन के लिए, NHPC लिमिटेड ने सिखिम CAMPA; सिखिम सरकार के वन और पर्यावरण विभाग; और सिखिम सरकार के मत्स्य विभाग में क्रमशः ₹1287.45 लाख और ₹119.99 लाख जमा किए हैं।

## अनुलग्नक-II

### पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन की स्थिति के संबंध में संक्षिप्त नोट

| क्रम | भाग क: विशिष्ट शर्तें                                                                                                                                                                                                                                                                                               | अनुपालन:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| i)   | ईएमपी में प्रस्तावित जैव विविधता संरक्षण योजना को चिह्नित स्थानों पर पूर्ण रूप से कार्यान्वित किया जाना चाहिए।                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>राज्य वन विभाग ने पत्र दिनांक 22.03.2021 के माध्यम से 31.03.2020 तक कुल ₹ 119.12 लाख की निधि में से जैव विविधता संरक्षण योजना के लिए ₹ 95.34 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया।</li> <li>वन विभाग द्वारा अतिक्रमियों की जांच के लिए थलथले गांव (पामफोक ब्लॉक) में एक चेक पोस्ट स्थापित किया गया है। आसपास के क्षेत्र को नुकसान से बचाने के लिए डायवर्टेड वन भूमि का सीमांकन और बाड़ लगाना। हालांकि, राज्य वन विभाग, सिक्किम सरकार द्वारा मृदा संरक्षण और वन संरक्षण योजना को अभी तक एपीओ में शामिल नहीं किया गया है।</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ii)  | प्रवासी मछलियों के प्रसार के लिए, दिनांक 18 अगस्त 2006 के पत्र के अनुसार प्रस्तावित एक मछली फार्म/हैचरी विकसित की जाएगी। चूंकि कैद में महसीर मछली का प्रजनन कठिन होता है, इसलिए हैचरी में महसीर के प्रजनन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया इस पत्र के जारी होने की तिथि से छह महीने के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए। | <ul style="list-style-type: none"> <li>मत्स्य निदेशालय, सिक्किम सरकार ने अपने पत्र दिनांक 09.07.2025 के माध्यम से चितरे गांव, जिला नामची, सिक्किम में स्थित मत्स्य पालन हैचरी इकाई के लिए पूर्ण उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| iii) | जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना जैसा कि प्रस्तावित किया गया है, चार वर्षों में पूरा किया जाना चाहिए। योजना अनुबंध-III के रूप में संलग्न है:                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>वन एवं पर्यावरण विभाग, सिक्किम सरकार ने अपने पत्र दिनांक 22.03.2021 के माध्यम से पूर्ववर्ती एलटीएचपीएल द्वारा जमा ₹1,122.73 लाख में से 31.03.2020 तक कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट (CAT) योजना के क्रियान्वयन में ₹1,091.27 लाख के उपयोग की उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया।</li> <li>एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा एलटीएचपीएल के अधिग्रहण के बाद, राज्य वन विभाग ने कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट (CAT) योजना की लागत को संशोधित कर ₹2,410.18 लाख कर दिया और शेष ₹1,287.45 लाख की मांग पत्र दिनांक 11.03.2022 के माध्यम से उठाई। संशोधित लागत के ₹1,287.45 लाख की राशि एलटीएचपीएल एनएचपीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली) द्वारा (सहायक कंपनी 26.04.2022 को सिक्किम CAMPA में जमा की गई।</li> <li>वन एवं पर्यावरण विभाग, सिक्किम सरकार ने अपने पत्र दिनांक 14.06.2024 के माध्यम से वर्ष 2023-24 के दौरान संशोधित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट (CAT) योजना के लिए उपयोग की गई राशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की,</li> </ul> |

|       |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                  | <p>जिसमें प्रमाणित किया गया है कि जमा की गई ₹1287.45 लाख की राशि में से ₹280.00 लाख का उपयोग किया गया है। वर्ष के अंत तक ₹1007.44 लाख की शेष अप्रयुक्त राशि आगामी वर्षों में उपयोग की जाएगी।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>नोडल अधिकारी (एफसीए), वन एवं पर्यावरण विभाग, सिक्किम सरकार ने अपने पत्र दिनांक 30.05.2025 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ₹323.05 लाख की राशि व्यय की गई है।</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| iv)   | भूस्खलन संभावित क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए, निकट पर्यवेक्षण में बड़ी सावधानी के साथ टनलिंग की जानी चाहिए।                                                   | भूस्खलन संभावित क्षेत्र के लिए, उचित नियंत्रित विस्फोट या यांत्रिक तरीकों से और पर्याप्त समर्थन प्रणाली प्रदान करके सुरंग बनाने का कार्य किया जा रहा है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| v)    | एक निगरानी समिति का गठन किया जाना चाहिए जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के / परियोजना प्रभावित व्यक्तियों और एक महिला लाभार्थी के प्रतिनिधि शामिल हों। | <ul style="list-style-type: none"> <li>एमओईएफ़ &amp; सीसी, नई दिल्ली ने दिनांक 25.05.2022 के पत्र के माध्यम से बहुविषयक निगरानी समिति का पुनर्गठन किया।</li> <li>पुनर्गठित बहु-विषयक निगरानी समिति ने दिनांक 27.02.2023 को परियोजना स्थल का दौरा किया और पुनर्गठित निगरानी समिति की पहली बैठक दिनांक 04.03.2023 को वन और पर्यावरण विभाग, सिक्किम सरकार, गंगटोक में आयोजित की गई।</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| vi)   | जन सुनवाई में परियोजना प्राधिकरण द्वारा दिए गए सभी आश्वासनों/प्रतिबद्धताओं का अक्षरशः सम्मान किया जाना चाहिए।                                                    | पालन किया जा रहा है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| vii)  | 67.4367.43 हेक्टेयर वन भूमि प्राप्त करने के लिए वन मंजूरी प्राप्त की जानी चाहिए और जमा की जानी चाहिए।                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>एमओईएफ, नई दिल्ली द्वारा पत्र संख्या 8-140/2006-एफसी दिनांक 23.05.2008 द्वारा 89.4266 हेक्टेयर वन भूमि (67.4295 हेक्टेयर सतह भूमि और 21.9971 हेक्टेयर भूमिगत भूमि) के लिए वन मंजूरी (चरण-II) प्रदान किया गया।</li> <li>एलटीएचपीएल (एनएचपीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) से उपयोगकर्ता एजेंसी के नाम में बदलाव को एमओईएफ एंड सीसी, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 12.03.2021 के पत्र के माध्यम से स्वीकार कर लिया गया।</li> <li>अब, पूर्ववर्ती एमएस एलटीएचपीएल का अधिग्रहण / दिवाला एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा एकमात्र स्वामित्व के रूप में और दिवालियापन संहिता 2016 के अंतर्गत एनसीएलटी, हैदराबाद के माध्यम से किया गया है, और इसे कंपनी अधिनियम 2013 के तहत भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा आदेश संख्या 24/6/2022-CL-III दिनांक 02.01.2025 के माध्यम से 27.01.2025 को एनएचपीसी लिमिटेड में विलय कर दिया गया है। उपयोगकर्ता एजेंसी के नाम में परिवर्तन कर एनएचपीसी लिमिटेड के पक्ष में आवेदन 02.07.2025 को परिवेश पोर्टल 2.0 पर प्रस्तुत किया गया है।</li> </ul> |
| viii) | शुष्क मौसम के दौरान जलीय जीवन के निर्वाह के लिए उपलब्ध पानी का 10%                                                                                               | राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सिक्किम ने दिनांक 01.10.2022 के पत्र के माध्यम से तीस्ता-VI जलविद्युत परियोजना के लिए शुष्क मौसम (दिसंबर-मार्च) के दौरान 16.60 क्यूमेक्स के 15% न्यूनतम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|            |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | (82.5 क्यूमेक्स) बांध के नीचे की ओर छोड़ा जाना चाहिए ।                                                                                                                                                                | पर्यावरणीय प्रवाह (ई-फ्लो) की मात्रा को निर्धारित किया । बैराज के डिजाइन में उपयुक्त प्रावधान रखा जा रहा है ताकि जलीय जीवन के पोषण के लिए परियोजना के चालू होने के बाद डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 16.60 क्यूमेक्स का ई-प्रवाह छोड़ा जा सके।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>ix)</b> | यदि आवश्यक हो तो किसी अन्य संगठन से कोई अन्य मंजूरी प्राप्त की जानी चाहिए ।                                                                                                                                           | सभी उचित मंजूरी आवश्यकता अनुसार प्राप्त किया गया है ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | <b>भाग ख. सामान्य शर्तें</b>                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| i          | निर्माण-कार्य में लगे श्रमिकों को परियोजना लागत पर पर्याप्त निशुल्क ईंधन की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि पेड़ों की अवैध कटाई को रोका जा सके ।                                                                          | वर्तमान में ठेकेदार द्वारा लगे हुए जनशक्ति को मेस की सुविधा प्रदान की जा रही है ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ii         | ईंधन (मिट्टी का तेल/लकड़ी) मुहैया करने लिए स्थल पर ईंधन डिपो खोला जाए । श्रमिकों को चिकित्सा सुविधाएं और मनोरंजन सुविधाएं भी दी जानी चाहिए ।                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>ईंधन (एलपीजी और मिट्टी का तेल) आवश्यकता पड़ने पर स्थानीय बाजार से ठेकेदारों द्वारा खरीदा जा रहा है ।</li> <li>ठेकेदारों द्वारा मजदूरों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| iii        | निर्माण-कार्यों में लगाए जाने वाले सभी श्रमिकों की स्वास्थ्य कार्मिकों द्वारा पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए और उन्हें कार्य करने की अनुमति देने से पहले उनका पर्याप्त रूप से उपचार किया जाना चाहिए                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>काम पर लगाने से पहले मजदूरों की स्वास्थ्य जांच और जांच की जाती है।</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| iv         | उत्खनित सामग्री के डंपिंग स्थल सहित निर्माण क्षेत्र के फैकने के स्थल को समतल करके, गड्ढों को भरकर, भूनिर्माण आदि द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए । उपयुक्त वृक्षारोपण के साथ क्षेत्र का उचित उपचार किया जाना चाहिए । | <ul style="list-style-type: none"> <li>निर्दिष्ट डंप याडों में कचरा डंप करने के लिए पर्यावरण के अनुकूल उपाय किए जाते हैं ।</li> <li>डंपिंग क्षेत्रों में आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त रिटेनिंग स्ट्रक्चर जैसे क्रेट वॉल, आरआरएम वॉल आदि उपलब्ध कराए जा रहे हैं ।</li> <li>डंप करने के बाद क्षेत्रों को समतल किया जा रहा है ।</li> <li>कार्य हाल ही में शुरू हुआ है, इसलिए साइट की आवश्यकता के अनुसार नालों और नदी खंडों को पर्याप्त सुरक्षा उपाय जैसे क्रेट दीवार और कंक्रीट प्लग प्रदान किए जा रहे हैं ।</li> <li>कार्यों की प्रगति के साथ वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार सभी एहतियाती उपाय किए जा रहे हैं ।</li> </ul> |
| v          | उपरोक्त सुझाए गए सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन के लिए परियोजना के कुल बजट में वित्तीय प्रावधान किया जाना चाहिए ।                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>ठेकेदारों द्वारा अपने निर्माण स्थलों पर सभी सुझावात्मक सुरक्षा उपायों का ध्यान रखा जा रहा है।</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| vi         | सुझाए गए सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी के लिए वानिकी, पारिस्थितिकी, वन्य जीवन, मिट्टी की बातचीत, गैर सरकारी संगठन आदि के विभिन्न विषयों के प्रतिनिधियों के साथ एक                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>एमओईएफ़ &amp; सीसी, नई दिल्ली ने दिनांक 25.05.2022 के पत्र के माध्यम से बहुविषयक निगरानी समिति का पुनर्गठन किया ।</li> <li>पुनर्गठित बहु-विषयक निगरानी समिति ने दिनांक 27.02.2023 को परियोजना स्थल का दौरा किया और पुनर्गठित निगरानी समिति की पहली बैठक दिनांक 04.03.2023 को वन और</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | बहुविषयक समिति का गठन किया - जाना चाहिए।                                                                                                                                                                                | पर्यावरण विभाग, सिक्किम सरकार, गंगटोक में आयोजित की गई।<br><ul style="list-style-type: none"> <li>परियोजना द्वारा पत्र संख्या LTHPL/HoP/Teesta-VI/941 दिनांक 19.02.2024 एवं पत्र संख्या NH/Teesta-VI/Env./2026/61 दिनांक 11.04.2026 के माध्यम से सिक्किम सरकार के वन एवं पर्यावरण विभाग से बहु-विषयक निगरानी समिति (Multi-Disciplinary Monitoring Committee) की दूसरी बैठक आयोजित करने का अनुरोध किया गया।</li> </ul> |
| vii  | मंत्रालय और इसके क्षेत्रीय कार्यालय को समीक्षा करने के लिए छमाही मानीटरिंग रिपोर्टें प्रस्तुत की जानी चाहिए।                                                                                                            | छह-मासिक निगरानी रिपोर्ट समय-समय पर एमओईएफ़ & सीसी, नई दिल्ली के साथ एमओईएफ़ & सीसी के एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रस्तुत की जाती है। नवीनतम प्रगति रिपोर्ट दिनांक 30.10.2025 के पत्र के माध्यम से एमओईएफ़ & सीसी के एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रस्तुत की गई।                                                                                                                                              |
| viii | क्षेत्रीय कार्यालय एमओईएफ़, शिलांगकोलकाता के अधिकारी जो / पर्यावरण सुरक्षा के कार्यान्वयन की निगरानी करेंगे, उन्हें परियोजना समर्थकों द्वारा उनके निरीक्षण के दौरान पूरी सुविधाएं और दस्तावेजों आंकड़े दिए / जाने चाहिए | एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा संज्ञान लिया गया और अनुपालन किया गया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ix   | पर्यावरण सुरक्षा के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी पूरी तरह से मैसर्स लैंको एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड लैंको तीस्ता हाइड्रो / सरकार पावर लिमिटेड और सिक्किम की है।                                                              | नोट किया गया। एलटीएचपीएल (एनएचपीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) पर्यावरण सुरक्षा के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी वहन करेगी।                                                                                                                                                                                                                                                                              |